

लिव-इन रिलेशनशिप

सहमति से वयस्कों का रिश्ता शादी के समान माता-पिता भी नहीं कर सकते दखल-हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे वयस्कों का रिश्ता शादी के समान है। माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त उनकी पसंद में दखल नहीं दे सकते और न ही उनकी जान या स्वतंत्रता को खतरा पहुंचा सकते हैं। अदालत ने परिवार की ओर से धमकियों का सामना कर रहे एक लिव-इन कपल को पुलिस सुरक्षा भी प्रदान की।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने 13 अगस्त को दंपती की याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता दंपती की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। उन्होंने अदालत को बताया कि वे कुछ समय से साथ रह रहे हैं और एक-दूसरे से शादी करने का भी इरादा रखते हैं।

अदालत को बताया गया कि लड़की के पिता और भाई इस रिश्ते से खुश नहीं थे और वे लगातार दोनों को हिंसा की धमकी दे रहे थे। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय थाना प्रभारी (एसएचओ) से शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अदालत ने कहा, 'चूंकि

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी दिया हवाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि विवाह न होने के बावजूद वयस्कों को अपनी इच्छा के अनुसार एक-दूसरे के साथ रहने का असीमित अधिकार है। अदालत ने कहा कि अब कानून की नजर में इस अधिकार को मान्यता प्राप्त है और विधायिका ने भी इसे धरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 जैसे प्रावधानों के तहत मान्यता दी है।



याचिकाकर्ताओं ने अपनी इच्छा, सहमति और पूरी जिम्मेदारी के साथ एक-दूसरे के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला किया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वह उनके माता-पिता, रिश्तेदार या दोस्त हों, उनकी पसंद में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने का अधिकार अथवा अधिकारिता नहीं रखता। उन्हें उनकी जान या स्वतंत्रता के लिए धमकी देने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं है।

अदालत ने आगे कहा, 'याचिकाकर्ता लिव-इन रिलेशनशिप में हैं और कानूनी रूप से एक-दूसरे से विवाहित नहीं हैं, लेकिन दोनों सहमति से वयस्क हैं, इसलिए उनका रिश्ता शादी के समान है।'

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी ने कहा कि सहमति से विवाह करने वाले वयस्कों की शादियों को जाति, पंथ, रंग, धर्म या आस्था के आधार पर मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों को ह्यसामाजिक नैतिकता और पूर्वाग्रहों के आधार पर सीमित करना व्यक्ति की स्वतंत्र पहचान से वंचित करने के समान है।

नहीं रहे सज्जन कुमार तिहाड़ जेल में निकला दम

दिल्ली। सज्जन कुमार सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद काट रहे थे; 3 केस में से एक में बरी बरी भी हो गए थे, 2 में दोषी थेकग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का गुरुवार को 80 साल की उम्र में निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक सज्जन कुमार को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था। वह 1984 के सिख विरोधी दंगों के तीन में से दो मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे थे। उन्हें एक केस में बरी कर दिया गया था। सज्जन कुमार का जन्म 23 सितंबर 1945 को दिल्ली में हुआ था। वे मैट्रिक तक पढ़े थे। उनकी राम कौर से शादी हुई थी। उनका एक बेटा और दो बेटियां हैं। उन्होंने 1977 में दिल्ली नगर निगम पार्षद के तौर पर राजनीति शुरू की। बाद में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के महासचिव बने। 1980 में पहली बार बाहरी दिल्ली से सांसद चुने गए। 1991 और 2004 में भी इसी सीट से सांसद रहे। संसद में उन्होंने शहरी विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से जुड़ी समितियों में काम किया। 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामलों में सज्जन कुमार के राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। दिसंबर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट से उम्रकैद मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस



छोड़ दी। फरवरी 2025 में एक अन्य 1984 दंगा हत्या मामले में भी उन्हें उम्रकैद हुई पिता-पुत्र की हत्या समेत 2 मामलों में दोषी पाए गए। दिल्ली कैद की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था। इस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई।

सितंबर, 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या मामले में बरी कर दिया। दंगे में CBI की एक अहम गवाह चाम कौर ने आरोप लगाया था कि सज्जन भीड़ को भड़का रहे थे। 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी। दंगाइयों ने लोहे की सरिया और लाठियों से हमला किया था। इसके बाद दोनों सिखों को ज़िंदा जला दिया। 12 फरवरी 2025 को दोषी ठहराए गए। 25 फरवरी को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

पत्नी को मारी गोली फिर खुद को किया खत्म

लखनऊ। शहर में आज दीनदहाड़े बैंक अफसर महिला की पति ने गोली मारकर हत्या कर दी हत्या: कठकठक बैंक के बाहर हुई वारदात के तत्काल बाद आरोपी ने भी खुद को भी गोली मारी ली, लखनऊ के पॉश इलाके में गुरुवार दोपहर 12 बजे कार सवार युवक ने कॉल करके महिला को ICICI बैंक के बाहर बुलाया। आरोपी ने महिला से थोड़ी देर तक बातचीत की, फिर गोली मारकर भाग गया।

गोली की आवाज सुनकर बैंककर्म और आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे। महिला को पास के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी

CCTV में भी नजर आया है। वारदात गोमती नगर थाने से 200 मीटर दूर ICICI बैंक के बाहर हुई। घटना की जानकारी मिलते ही अफसर मौके पर पहुंच गए हैं। फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। जिस बैंक अफसर की हत्या हुई, उसका नाम दिव्या मिश्रा है।

वह ICICI बैंक में असिस्टेंट मैनेजर थी। वह आलमबाग में रहती थी। जानकारी के अनुसार पति पत्नी में काफी समय से विवाद चल रहा था दिव्या ने एक साल पहले पति मानस से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। पति पत्नी का आपसी विवाद इस अंजाम तक पहुंचेगा ऐसी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी

Deepak Agarwal Mob.: 7466869057

अग्रवाल एन्टरप्राइजेज

हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन एवं कूलर होल-सेल रेट पर मिलते हैं।

..... **कूलर ही कूलर**

एसी

फ्रिज

वॉशिंग मशीन

कूलर

पता- बल्केश्वर पार्क के सामने, बल्केश्वर रोड, आगरा